



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3232]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 3232]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

का.आ. 3546(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की अनुसूची I के उपबंधों के अनुसरण में, सभी पात्र लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अधीन चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम के राजस्वायता प्राप्त मूल्यों को 30 जून, 2019 के पश्चात और अगले आदेश होने तक जारी रखे जाने का विनिश्चय करती है।

[फा.सं. 15-8/2014-एनएफएसए]

मनीषा सेनशर्मा, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

S.O. 3546(E).—In pursuance of the provisions of Schedule I to the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government hereby decides to continue with the subsidised prices of rupees 3 per kg for rice, rupees 2 per kg for wheat and rupee 1 per kg. for coarse grains for all eligible beneficiaries under section 3 of the National Food Security Act, 2013, beyond 30th June, 2019 and until further orders.

[F.No. 15-8/2014-NFSA]

MANISHA SENSARMA, Economic Adviser